

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 503(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 206 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी, एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे, महाराष्ट्र-4110048 द्वारा 827, भवानी पेठ, पुणे, महाराष्ट्र-4110048 में दर्द निवारक केन्द्र (सतसेवा) के संचालन और उपकरणों की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 20 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; और जिसे बाद

में दिनांक 04 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं० 217 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दी गई थी और जिसे बाद में दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० 973 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 9 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी, एच-1/13, सांलुके विहार, पुणे, महाराष्ट्र-4110048 द्वारा 827, पुणे, महाराष्ट्र-4110048 में दर्द निवारक केन्द्र (सतसेवा) के संचालन और उपकरणों के लिए चलाई जा रही परियोजना या स्कीम को अनुमानित लागत अर्थात् 15.50 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए 800.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।